

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

दूरभाष : 0135 2977974  
Telephone : 0135 2977974  
प्रतिकृति E-mail: ngdc soi@gov.in



राष्ट्रीय भू-स्थानिक आकड़ा केन्द्र  
NATIONAL GEO-SPATIAL DATA CENTRE  
ब्लाक 6, हाथीबड़कला इस्टेट, पत्र पेटी सं. 200  
Block 6, Hathibarkala Estate, Post Box No. 200  
देहरादून (उत्तराखण्ड) Dehra Dun- 248001  
(Uttarakhand)

नेमी आदेश सं०06/37-जी-11 दिनांक:10-06-2022

1. एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०जी-35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19.05.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन सं० 35043/3/2015 स्था० (डी) दिनांक 22.10.2019 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित गुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारियों (डिविजन-1 (डिव०- II से पदोन्नत)) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री आशीष कुमार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01.01.2022
2.	श्री जयन्त कुमार	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2022
प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० सी-2614/1902-एम०ए०सी०पी० (राष्ट्रीय जी०डी०सी०) दिनांक 02.05.2022			

उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केंद्र के वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की तिथि से कर्मचारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए एफ०आर० 22(I)(A)(1) के अधीन एक माह के भीतर विकल्प देना होगा ।

2. नकदी संभालने का भत्ता :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं० स 14/3/ 78-एस०एम०पी०-01 दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली (प-2) दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिपिक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार रोकड़िया का कार्य करने के लिये नकदी वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	अवधि		भत्ते की दर प्रतिमाह	टिप्पणी
		से	तक		
1.	कु० किरण मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक	20.05.2022	05.06.2022	रु० 700/-	नियमित रोकड़िया के अवकाश पर जाने के कारण

नियमित रोकड़िया द्वारा दिनांक 06.10.2021 से 05.10.2022 तक की विश्वस्ता गारंटी पॉलिसी कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। कु० किरण मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक को नियमित रोकड़िया के नियमित अवकाश पर जाने के कारण अपने कार्य के अतिरिक्त खजांची का कार्य करने पर नियमानुसार विश्वस्ता गारंटी पॉलिसी प्रस्तुत न करने के लिए छूट प्रदान की जाती है ।

इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय इस केन्द्र के लिए वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

**3. नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना के अर्न्तगत हस्तान्तरण :-**

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं० एस०एम०/02/09/2018 दिनांक 31.12.2021 एवं भारत सरकार, कार्मिक एवं जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.02.2016 एवं 28.07.2016 के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अर्न्तगत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गयी तिथि से पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1972 के अधीन पुरानी पेंशन योजना के अर्न्तगत लाये जाने की तिथि	टिप्पणी
1.	श्री अरुण राम	एम०टी०एस० (अब पटल चित्रक ग्रेड-IV)	01.03.2004	दिनांक 10.01.2001 को कन्टीजेंट खलासी के पद पर भर्ती हुए तथा दिनांक 01.03.2004 से नियमित खलासी के पद पर नियमित हुए।
प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं०स्था०3-07/1117-रुल्स दिनांक 05/18.01.2022				

श्री अरुण राम, एम०टी०एस० (अब पटल चित्रक ग्रेड-IV) को केन्द्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के अर्न्तगत पुरानी पेंशन योजना के सभी प्रकार के लाभ देय होंगे।

**4. नियुक्ति पर चिकित्सा परीक्षण :-**

श्रीमती दर्शनी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सरजू राज, एम०टी०एस०, जिनकी निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के कार्यालय आदेश सं०सी-61/5-एच-1 दिनांक 29.04.2011 के अनुसार दिनांक 01.04.2011 से नियमित खलासी के पद पर नियुक्त हुई थी, का नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा परीक्षण नहीं करवाया गया था, का अब दिनांक 07.05.2022 को प्रिंसीपल सुपरिंटेण्डेंट, दून अस्पताल, देहरादून द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया एवं सही पाया गया।

**5. स्थानान्तरण पर गये :-**

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार इस कार्यालय से स्थानान्तरण पर गये :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय का नाम जहां स्थानान्तरण पर गये	स्थानान्तरण की तिथि
1.	श्री एम०एन० ढौंडियाल, अधिकारी सर्वेक्षक	हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०, चंडीगढ़	23.05.2022
प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं० स्था०1-1983/1466-प्लेसमेंट कमेटी दिनांक 18.04.2022			
2.	श्रीमती सुनिता कालरा, आशुलिपिक ग्रेड- II	अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र कार्यालय, देहरादून	12.05.2022(पूर्वाहन)
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-2842/725-स्टेनो(1) दिनांक 10.05.2022			
3.	श्रीमती पूजा, एम०टी०एस०	अर्न्तराष्ट्रीय सीमा निदेशालय, (म०स०का०), नई दिल्ली	06.05.2022
प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं० स्था०3-125/1095-एम०टी०एस० दिनांक 28.04.2022			

6. स्थानान्तरण पर आए :-


निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार इस कार्यालय में स्थानान्तरण पर आए :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए	स्थानान्तरण की तिथि
1.	श्री विजेन्द्र कुमार, मानचित्रकार डिविजन-1	उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, देहरादून	01.06.2022
प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. सी-1319/1800(1) दिनांक 02.03.2022			

7. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हुये :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1.	श्री सतीश चन्द्र	एम.टी.एस. (गार्ड)	30.04.2022
2.	श्रीमती मंजू रावत	मानचित्रकार डिविजन-1	31.05.2022



(कर्नल सुमित कुमार द्विवेदी)  
निदेशक,  
राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

वितरण:-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून ।
4. कार्यालय अधीक्षक/गार्ड फाईल/वैबसाईट एडमिन